न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 10 / 2020

उनवान

1. शंकर सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, जाति राजपूत निवासी दम्बा का बास, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. गिरधारी लाल पुत्र चन्दाराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम दम्बा का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।
2. जगदीश पुत्र गंगूराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम नोपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. प्रभाती देवी पत्नी भैरू, जाति अहीर, निवासी ग्राम दम्बा का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।
4. भगवान सहाय पुत्र गंगूराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम नोपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।
5. माली देवी पत्नी स्व० मदन,
6. प्रकाश पुत्र स्व० मदन,
7. कृष्ण पुत्र स्व० मदन,
8. पिंकी पुत्री स्व0 मदन,

   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम दम्बा का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. मुरली पुत्र छोटू, जाति अहीर, निवासी ग्राम दम्बा का बास, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
10. रामेश्वर पुत्र गंगूराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम नोपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।
11. सुण्डाराम पुत्र गंगूराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम दम्बा का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।
12. सांवरमल पुत्र चन्दाराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम दम्बा का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।
13. गोपाल सिंह पुत्र सबल सिंह,
14. जसवत सिंह पुत्र सबल सिंह
15. तेज सिंह पुत्र सबल सिंह
16. भंवर सिंह पुत्र सबल सिंह,
17. मोती सिंह पुत्र सबल सिंह,

    समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम ... तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महो... चौमूं, तहसील चौमूं, जयपुर ।

—अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:49:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र तहत धारा 251(ए), भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 29.10.2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल खाता संख्या 56 के हाल खसरा नम्बर 190 रकबा 2.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 191 रकबा 2.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 192 रकबा 1.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 247 रकबा 0.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.11 हैक्टेयर खसरा नम्बर 251 रकबा 1.56 हैक्टेयर, कुल किता 7 का कुल रकबा 9.44 हैक्टेयर वाके ग्राम दम्बा का बास, तहत पटवार हल्का आलिसर, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरस्तेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित है।

प्रार्थी की खातेदारी भूमि वर्णित मद नम्बर 1 में आने जाने हेतु कोई रास्ता वर्तमान में मौजूद नहीं है, जिस कारण प्रार्थी को उक्त खातेदारी भूमि में बने मकानात में आने आने व काश्त के लिये ट्रेक्टर इत्यादि ले जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, प्रार्थी की उक्त आराजीयात के दक्षिण में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 251/470 रकबा 0.45 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 252 रकबा 3.21 हैक्टेयर तथा अप्रार्थीगण संख्या 13 ता 17 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 252/524 रकबा 0.05 हैक्टेयर स्थित हैं, जिसके पश्चात् हरस्तेडा से दम्बा का बास जाने वाली ग्रेवल रोड, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.54 हैक्टेयर स्थित हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि व उसमें बने मकानात में आने जाने व साधन ले जाने हेतु खसरा नम्बर 319 रकबा 0.54 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ते से खसरा नम्बर 252, 252/524, 251/470 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 4 मीटर चौडा रास्ता दक्षिण में उत्तर की ओर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 251 सबसे सुगम रास्ता हो सकता हैं। इसलिये प्रार्थना पत्र हाजा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

प्रार्थी को अधिकार हैं कि वह अपनी उक्त मद नम्बर 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित खातेदारी भूमियों में आने जाने हेतु उक्त मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार रास्ते को बाकायदा रिकार्डेड रास्ता कायम किये जाने हेतु मान्य न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र हाजा पेश कर उक्त मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र में उल्लेखित अप्रार्थीगण के अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 252, 252/524, 251/470 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर चौडे रास्ते को रिकार्डेड रास्ता दिलवाये जाते हुए तद्नुसार राजस्व रिकार्ड/नक्शा में अमल दरामद करवाये जिस हेतु नियमानुसार निर्धारित भू–दर के आधार पर भुगतान करने को तत्पर हैं।

प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमियों में आने जाने हेतु रास्ता प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 3 में वर्णित अनुतोष प्रदान किया जाते हुए राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 252, 252/524, 251/470 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर 4 मीटर चौडे व प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक लम्बे रास्ते को रास्ता घोषित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश [illegible] हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को [illegible] 4 में वर्णित अनुतोष प्रदान किया जाते हुए राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 252, 252/524, 251/470 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर 4 मीटर चौडे व प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक लम्बे रास्ते को प्रार्थी को दिलवाया जाते हुए राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 15 से रिकार्डेड रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:49:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट आलीसर में पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। प्रकरण के संबंध में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट दिनांक 16.04.2021 प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं दिनांक 16.04.2021 ग्राम दम्बा का बास के खसरा नंबर 190, 191, 192, 247, 249, 250, 1251 किता 7 रकबा 9.44 हेक्टेयर भूमि शंकर सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति राजपूत हिस्सा 22/189 खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है एवं मौके पर उक्त भूमि पर खेती की जा रही है

प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नंबर 252, 251/470, 252/524 में से रास्ता चाहा गया है। मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड खसरा नंबर 252 रकबा 3.21 हेक्टेयर की खातेदारी सांवरमल पुत्र चंदाराम जाति जाति अहिर हिस्सा 1/9 रहन ओबीसी, प्रभाती देवी पत्नी गैरू जाति अहीर हिस्सा 1/9 रहन ओबीसी, गिरधारी लाल पुत्र चंदाराम जाति अहीर हिस्सा 1/18 रहन ओबीसी, मुरली पुत्र छोटू जाति अहीर हिस्सा 1/3 रहन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, सूण्डाराम पुत्र गंगूराम जाति अहीर हिस्सा 1/12 रहन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भगवान सहाय पुत्र गंगूराम जाति अहीर हिस्सा 1/12 रहन द सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक जयपुर, रामेश्वर पुत्र गंगूराम जाति अहीर हिस्सा 1/12, ओमप्रकाश कृष्ण कुमार पिंकी पिता मदनलाल जाति अहीर हिस्सा 3/72 माली देवी पत्नी मदनलाल हिस्सा 1/72 जाति अहीर कमली देवी पत्नी जगदीश प्रसाद हिस्सा 1/12 दर्ज रिकॉर्ड है तथा आराजी खसरा नंबर 252/524 रकबा 0.05 हेक्टेयर की खातेदारी तेजसिंह मोतीसिंह जसवंतसिंह पिता सबलसिंह हिस्सा 3/5 रहन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर भंवरसिंह पुत्र सबल सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/5 रहन ओबीसी गोपाल सिंह पुत्र सबल सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर मौके पर खेती की जा रही है एवं आंशिक हिस्से में कच्चा रास्ता के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है।

प्रार्थी द्वारा ग्राम दम्बा का बास के आराजी खसरा नंबर 252 एवं 252/524 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे खसरा नंबर 319 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से लेकर ख0न0 251 के दक्षिण–पश्चिम कोने तक चाहा गया है। वांछित रास्ते अनुसार खसरा नंबर 252 में 4 मीटर चौड़ाई 90 मीटर लंबाई तथा खसरा नंबर 252/524 में 4 मीटर चौड़ाई 22 मीटर लंबाई के अनुसार खसरा नंबर 252 में 360 वर्ग मीटर भूमि व खसरा नंबर 252/524 में से 88 वर्ग मीटर भूमि रास्ते में जाएगी जिसका कुल क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर होगा।

आवेदक की खातेदारी के लिए कोई रास्ता नहीं लगता है। केवल खसरा नंबर 319 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से लेकर खसरा नंबर 238 किस्म गै0मु0 रास्ता जाने वाला एक कच्चा रास्ता जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। रास्ते में जाने वाली भूमि की डीएलसी दर 1425537/– प्रति हेक्टेयर है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं के अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 12 की ओर से प्रा0 पत्र बाबत आपत्ति तहसीलदार रिपोर्ट दिनांकित 16.04.2021 का पेश कर तहसीलदार स्वयं द्वारा पक्षकारान को सूचित कर तथा उनकी उपस्थिति में पुनः रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया गया। प्रा0 पत्र बाबत आपत्ति तहसीलदार रिपोर्ट दिनांकित 16.04.2021 एवं मूल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया गया। प्रशासन गावों के संघ अभियान के दौरान सरकार की मंशा के अनुरूप वादो/दावो के निस्तारण हेतु उभयपक्षकारों की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 69 (पूछताछ एवं आवेदन पत्र का निपटान) के अनुसार पिठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 29.10.2021 को स्वयं मौका निरिक्षण किया गया। जिसमें खसरा नम्बर 319 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से लेकर खसरा नंबर 238 किस्म गै0मु0 रास्ता जाने वाला एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:49:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अन्य रास्ता विकल्प मौजूद है। चुकी प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पीक मार्ग स्थित है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय (Maintainable) नही होने से अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर०टी० एक्ट का अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

राहुल जैन
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:49:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner